




(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियों याचक विभाग को मान्य हैं।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)


अधिसारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. वास्तविक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग की किसी अन्य विभाग संस्था व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई न्यूनतम भूमि है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. सरकारी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे। और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुवावजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन बाधक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करेगा।
7. सम्बन्धित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्ताक्षरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं के भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ति एवं वन्य जन्तुओं की स्वच्छ विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/इस निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क इसकी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार का प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगे।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एसाइनमेन्ट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी-गढ़वाल को सम्बोधित पत्रांक सं0 608 सी, दिनांक 10.02.82 निहित आदेशों का कार्यों की मामूली फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्चे से प्रयुक्त न होगा और नई सड़क का निर्माण आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के आधार पर आँकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर रहे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक वृक्षारोपण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1,000 मीटर से एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिघ्द है। इसी प्रकार () के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण।


15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान किया जायेगा तथा खम्बों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। या फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

16. यदि नहर आदि के निर्माण में भूक्षरण की सम्भावना है नहर के दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेंगा।


17. ऊपर लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो ये याचक विभाग को मान्य होंगी।


18. वन भूमि का वारत्तिक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन किया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त होने जाये।

शर्तें मान्य हैं।



अपर सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)


सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली, (नैनीताल)


अधिसारी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार बेंड से टूनी (बियसिंग्या) मोटर मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.

भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये

जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये युझावों/शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड

लो.नि.वि. भवाली

2-31


17


57
प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (बिरसिग्यां) मोटर मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.


धार्मिक/पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं है।



अपर सहायक अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई स्वण्ड
लो.नि.वि. भवाली

पट्टी पट्टवासी
वनपाल
समीक्षक धारी
नैनीताल

वन दयोगा


उपजिलाधिकारी
धारी


जिलाधिकारी
नैनीताल


उप प्रसंगीय कर्मचारी (प्र.)
नैनीताल


प्रसंगीय कर्मचारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल


प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार बौण्ड से टूनी (बिरसिन्ध्या) मोटर मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.

वन्यजीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान विभाग द्वारा वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।




अपर सहायक अभियन्ता




सहायक अभियन्ता




अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
लो.नि.वि. भवाली




वन दरोगा



व-5 क्षेत्राधिकारी
बद्रीन राणि हेडक्वार्टर
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल.



उप प्रभागिय वन्यधिकारी (पुं.)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.




प्रभागिय वन्यधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल


प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार ब्रैण्ड से दूनी (बिशिष्यां) मोटर
मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.

परियोजना कार्यस्थल पर रसोई गैस के प्रयोग हेतु प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कार्य स्थल पर
कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा भोजन बनाने हेतु रसोई गैस/मिथी के तेल की व्यवस्था
की जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई स्वण्ड

लो.नि.वि. भवाली




प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार बैंड से टूनी (बियसिन्यां) मोटर मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण

पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम	परिवार	जनसंख्या
1	च्यूड़ीगाड़	650	1200
2	पुटगाँव	450	801
3	टूनी	50	105
4	बियसिन्यां	75	160
	योग	1225	2266



अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता



अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड

लो.नि.वि. भवाली


प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार बैंड से टूनी (बिशिष्यां) मोटर मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.

एन.पी.वी.धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन.पी.वी.को देय धनराशि रु. 34.78 लाख विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी, इसके अतिरिक्त यदि मा.उच्चतम् न्यायालय द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन.पी.वी.की अतिरिक्त धनराशि को विभाग द्वारा जमा करा दिया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता


सहायक अभियन्ता




अधिसाक्षी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
लो.नि.वि. भवाली

64


प्रयोजना का नाम: जिला नैनीताल में बगडवार ब्रैण्ड से टूनी (बियसिग्या) मोटर
मार्ग का निर्माण 5.550 कि.मी.

परियोजना के लिये ली गयी वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आर.सी.सी. पिलरों के निर्माण का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन, सर्वेक्षण हेतु आने
वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड

लो.नि.वि. भवाली



1. परियोजना का नाम - छिटा नैनीताल में वायुवाहक क्षेत्र से परिसरों में पर्यावरण का निगम
2. प्रभावित भूमि का बैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में) -
 आरक्षित वन भूमि - 3.50 हे०
 सिविल एवं सोयम वन भूमि - N/A
 वन पंचायत भूमि - 0.20 हे०
 निजी भूमि - 0.105 हे०
 योग - 3.805 हे०
 प्रस्तावक विभाग का नाम - अरुणा खण्ड ली० लि० बि० अवाली (नैनीताल)
3. वन प्रभाग का नाम - नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हाँ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - हाँ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ / नहीं
7. क्या प्रारूप में बौद्धि स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
10. बाज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थानीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - प्रस्तावित प्रोएर बॉर्ड में कम से कम वृक्षों का पातन निश्चित है,
12. समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है - हाँ / नहीं
14. क्या क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ / नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ / नहीं

सहायक अभियन्ता
 बस्थई खण्ड, ली० नि० वि०
 अवाली (नैनीताल)

अधिसारी अभियन्ता
 बस्थई खण्ड, ली० नि० वि०
 अवाली (नैनीताल)

- 19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीछोर का हिस्सा है -
यदि हों तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है हों / नहीं हों / नहीं
- 20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है हों / नहीं
- 21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - नया प्रस्तावित
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) ह्यागू नही !

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हों / नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हों / नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है- हों / नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय- ह्यागू नही है

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये है - हों / नहीं

27. वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) ह्यागू नही है हों / नहीं

29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है हों / नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है-
अथवा-
मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हों / नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हों / नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है - हों / नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हों / नहीं ह्यागू नही है

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हों / नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हों / नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - हों / नहीं

है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्मेट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया

हस्ताक्षर

प्रस्तावक विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी

(Signature)

सहायक अभियन्ता
अस्थायी बण्ड, लो० नि० वि०

(Signature)

उप प्रशासक विभाग (न०)
दंडीताल वन प्रभाग, दंडीताल.

प्रमाणित वनाधिकारी
दंडीताल वन प्रभाग

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.